को पेश हो।

10-1-20 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित है।
पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र के कथन, वर्णित तथ्य, वाँछित अनुतोष, प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाबमय विशेष आपत्तियां, उक्त जवाब में वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, उभयपक्षकारान द्वारा अपने-अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात, साक्ष्यादि एवं शपथ-पत्रादि पर उभय-पक्षकारान द्वारा जिरह पर सम्यक विचार किया।

तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

तनकी नम्बर 1:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इस तनकी को सिद्ध करने हेतु वादी

10/01/2020

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वयं का शपथ-पत्र, एवं नकल जमाबंदी ग्राम गूरड़ी संवत 2046-50 खाता नम्बर 62 प्रदर्श-1 प्रस्तुत किया गया थी वादी द्वारा वादपत्र के मद नम्बर 1 में ग्राम गूरड़ी के खसरा नं. 261/4 की 2 व 262/2 की 11/2 भूमि का उल्लेख किया थी हस्ब प्रदर्श-1 उक्त भूमि पूर्व में देवीलाल दुर्गालाल कुमार नन्दा मीणा के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी। जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र उक्त भूमि नामान्तरकरण नं. 354 से वादी के नाम पर दर्ज की गई थी इस प्रकार हस्ब अभिलेख वादी उक्त भूमि का अभिलिखित खातेदार टीनेन्ट प्रमाणित होता है। वादी हस्ब अभिलेख उक्त भूमि के संबंध में धारा 5(43) एवं धारा 14 R.T.Act 1955 के अनुसार खातेदार अभिधारी की हैसियत रखता है परन्तु हस्ब प्रदर्श D-7 व प्रदर्श D-8 से प्रमाणित होता है, कि वादी ख० नं. 262/2 की रकबा 11/2 भूमि फूलचंद नामक व्यक्ति को बेचान कर चुका थी इस प्रकार वादी मात्र की खसरा नम्बर 261/4 की रकबा 2 बिस्वा का खातेदार अभिधारी है यदि प्रतिवादीगण, वादी की उक्त भूमि में से कोई नया रास्ता बना कर भूमि को टुकड़े-टुकड़े या नष्ट कर देते हैं या भूमि को अनुपजाऊ बना देते हैं, तो इससे वादी	

[signature] 5/11/2000

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
	वादी को ऐसी क्षति संभाव्य है, जिसका आंकलन मुद्रा के रूप में संभव नहीं हो सकता। साथ ही साथ पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्य की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।	
	अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार यह तनकी बहक वादी तय की जाती है।	
	तनकी नं० 2:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। साक्ष्य में प्रतिवादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र, एवं प्रदर्श 1 से प्रदर्श-9 प्रस्तुत किये हैं। प्रदर्श-9 से प्रमाणित है, कि ख०नं० 313, 314, व 315 एक compact में स्थित है।	
	ख०नं० 313 कल्याणसिंह के वारिसान रणवीर सिंह वगैरह के नाम पर स्थित है। 314 कल्याणसिंह राजपूत व 315 नाथूसिंह राजपूत वगैरह के नाम पर दर्ज है।	
	वादी प्रतिवादीगण के खेत पर जाने का रास्ता होने को तो स्वीकार करता है, किन्तु उसकी खुद की भूमि में रास्ता होने से इन्कार करता है। ख०नं० 313 की तरफ रास्ते की बात तो स्वीकार है, किन्तु उसके स्वयं की भूमि में से रास्ता हो यह तथ्य वादी अस्वीकार करता है।	
	खसरा नम्बर 313, 314, 315 में रास्ता हो तो वादी को इन्कार नहीं, वादी का इन्कार मात्र खसरा नम्बर 261 की भूमि में रास्ता नहीं होना है।	
	(हस्ताक्षर)	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में यह तय है, कि प्रतिवादीगण अपने खातों की भूमि पर आने जाने हेतु किसी रास्ते का प्रयोग अवश्य कर रहे हैं। परन्तु ख० नं. 261 की भूमि ख० 0.313, 314, 315 (प्रदर्श-9) के समीप हो ऐसा प्रमाणित नहीं है। अत: यह तनकी इसी प्रकार अंशत: विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है। तनकी नं. 3:— तनकी नम्बर 1 व 2 के विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वाद वादी अंशत: स्वीकार किया जाना उचित है। अत: गुणावगुण के आधार पर वाद वादी ~~स्वीक~~ अंशत: स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि प्रतिवादीगण वादी की भूमि ग्राम गुढ़ी ख०नं० 269/6 रकबा 2 में किसी प्रकार नया रास्ता कायम नहीं करें वादी के विरुद्ध मदाखलत व मजाहमत नहीं करें परन्तु वादी प्रतिवादीगण के परंपरा से चले आ रहे, रास्तों को रोकने का अधिकारी नहीं होगा। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। निर्णय आज दिनांक 10.1.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 10/1/2020 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

Yud II Civil
Part IV-10

अंतिम डिकरी ब मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी —मुकाम— रामगंजमण्डी
ब इजलास— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)
प्रेमसिंह —बनाम— कालूसिंह
धारा व अधि— 188, R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं.— 57 —बाबत— 2008

यह मुकद्दमा आज बारो इतफिसाल करहें रू-ब-रू— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

बहुजरी— श्री म.प्र. सोनी एड. —मिनजानिब मुद्दई व— श्री श्याम बिहारी माहेश्वरी एड.

—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वादी आंशिक: स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि प्रतिवादीगण वादी की कृषि भूमि खसरा नं. 269/4 खाता ... में किसी प्रकार नया रास्ता कायम नहीं करें। वादी के विरुद्ध मदाखलत मज़ाहमत नहीं करें। परन्तु वादी प्रतिवादीगण के परम्परा से चले आ रहे रास्ते को रोकने का अधिकारी नहीं होगा।

चीज— —मुबलिग— —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह— — —

मे तारीख मुकद्दमी तक— — —

बसबूत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 10 —माह— 01 —सन्— 2020

को जारी की गई।

दस्तखत—
ओहदा— उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दायलाह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	..			स्टाम्प वकालतनामा	..		
स्टाम्प वकालतनामा	..			स्टाम्प अर्जी	..		
स्टाम्प सबूत	..			महनताना वकील पर	..		
महनताना वकील	..			खर्चा गवाहान	..		
खर्चा गवाहान	..			फीस कमिश्नर			
फीस कमिश्नर	.			बाबत इजराय हुक्मनामा			
बाबत इजराय हुक्मनामा	..			मुतफर्रिक			
मुतफर्रिक	..						
मीजान..		—		मीजान..		—	

नोट—इस खर्च के बारे पर कुल खर्च हर दो फरीकेन का, जो डिकरी के बारे हिसाब ... न हो नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. जो.-40-2004-1,00,000 फ.

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned with CamScanner